[श्री श्रीकान्त वर्मा]

व्यापारियों की भाषा नहीं है । कोई भी भाषा केवल व्यापारियों और धनियों की भाषा होकर नहीं बनी रहती है, उसके साथ संस्कृति होती है । उसके साथ संस्कृति जुड़ी होती है । इस युग के भाषा-शास्त्री नोम चाम्सकी ने यह बात बार-बार कही है कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा से इन्फीरियर नहीं होती क्योंकि उसमें सारी संभावनाएं होती हैं । सारा सवाल उसके विकास का होता है और यह बात नोम चाम्सकी ने तब कही जब कि कुछ अफ्रीकी भाषाओं के बारे में सवाल उठा और उन्होंने कहा, कुछ लोग यह मानते हैं कि अफ्रीकी लोग अपना साहित्य नहीं रच सकते । तब इसका उत्तर देते हुए चाम्सकी ने कहा कि अफ्रीकी भाषा भी उतनी ही विकसित है जितनी दूसरी भाषाएं हैं । उनमें सारी संभावनाएं हैं । उनमें कई ऐसे सिम्बल्स हैं जो अंग्रेजी में नहीं मिलते । फ्रेन्च में नहीं हैं, जर्मन में नहीं हैं और यह सही है कि उन्हें बहुत से सिम्बल जो लेने पड़े हैं वे अफ्रीकी भाषाओं से लेने पड़े हैं और इसका नाम उन्होंने "नीग्रीट्यू" रखा है । इसलिए किसी भी भाषा को मानने के लिए उसकी सामाजिक परंपरा को समझना चाहिए । मैं विशेष रूप से सिंधी के लिए आग्रह करूंगा कि गृह मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बेघरबार लोगों की जबान केवल एक बेघरबार जबान होकर न रह जाए । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Before I call the next speaker, Mr. Shahi, the Minister for Finance wants to make a brief statements—only statement, on discussion on that—on Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

STATEMENT BY MINISTER

Natural Calamity in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and grant of Central Relief

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): Sir, as the hon. Members if this House are aware a serious calamity has befallen two of the States of the Union—Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Large-Scale damage to life and property has occurred in many districts of these two States as a result of two severe cyclones. The total extent of the damage will be assessed in due course and it is the Central Government's intention to provide appropriate assistance to the two States. In the meanwhile, as a measure of emergency relief the Central Government has decided to sanction immediately an advance of Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

AN HON. MEMBER: Rs. 5 crores to each?

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Rs. 5 crores to Andhra Pradesh. I am sure the Members of this House will join me in conveying to our brothers and sisters in Tamil Nadu and Andhra Pradesh our deepest sympathy in their difficult moment.

MOTION RE. FIFTEENTH AND SIXTEEN REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Shahi eifiht to ten minutes.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ साथियों ने उर्दू को अपने मुसलमान भाइयों के साथ जोड़ने की कोशिश की है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात

है कि हमारे लायक दोस्त श्री सिकन्दर अली वज्द ने . . . (*Interruptions*) ज़रा ग़ौर से सुनिए, डा० तारा चन्द की बातों को न कहते हुए यह कहा कि तारा चन्द साहब हिन्दू थे। क्या मतलब इसका होता है कि डा० तारा चन्द साहब हिन्दू थे और जो उर्दू की बातें कर रहे हैं वे मुसलमान हैं। इस तरह की गोल बात नहीं होनी चाहिए। श्रीमन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग उर्दू को अपने मज़हब के साथ जोड़ते हैं वे उसका नुकसान कर रहे हैं. . .

श्री हरि सिंह भगुबावा महिडा (गुजरात): चरण सिंह जी से पूछो जिन्होंने उर्दू को मज़हब के साथ जोड़ा है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन, अभी किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मे उर्दू एकादमी को खत्म कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू के साथ क्या किया है?

एक माननीय सदस्य : वह किया है कि जो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उर्दू एकादमी को उर्दू की किताबें खरीदने के लिये 20 लाख रुपये की ग्रान्ट दी है जबकि हिन्दी एकादमी को 10 लाख की ग्रान्ट दी।

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी : यह किस साल के फिगर्स हैं?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जिस रिपोर्ट पर आप बहस कर रहे हैं वह 1972–73 की है और श्रीमन, देखिये कि उर्दू के लेखकों को सहायता के रूप मे 33734 रुपये दिये गये जबकि हिन्दी लेखकों को 2955 रुपये दिये गये। यह उत्तर प्रदेश के सरकारी फिगर्स हैं। इस के बावजूद हमारे दोस्त यह कहते हैं कि उर्दू के साथ ज्यादती हो रही है। माइनारिटी लैंग्वेज के मायने केवल उर्दू नहीं होते।

(*Interruption*)

شری محمد یونس سلیم : پوائنٹ آف آرڈر - سکندر علی وجد صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اردو اکاڈمی کے چیرمین نے استعفیٰ دے دیا ہے اور آج تک کسی کو چیرمین مقرر نہیں کیا گیا ہے -

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** : प्वाइंट आफ आर्डर—सिकन्दर अली वज्द साहब ने जो बात कही थी वह यह कही थी कि उर्दू अकेडमी के चैयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है और आज तक किसी को चैयरमैन मुकर्रर नहीं किया गया है]

[**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** : आप को जानकारी नही है। वह मुकर्रर हो गये हैं।

شری محمد یونس سلیم : اگر آپ بتا دیں تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا - پریزیڈنٹ مقرر ہوئے ہیں چیرمین مقرر نہیں ہوئے ہیں -

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** : अगर आप बता दे तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूगा। प्रसीडेट मुकर्रर हुए है, चैयरमैन मुकर्रर नही हुए हैं]

[**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** : प्रेसीडेंट और चेयरमैन मे क्या फर्क है?]

شری محمد یونس سلیم : ذرا مجھے موقعہ دیجئے -

[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** : जरा मुझे मौका दीजिए।]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): We will proceed with the discussion.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : तो सवाल आज यह है कि उर्दू एकादमी

†[ ] Devnagari translation.

شری محمد یونس سلیم : تو سوال آج یہ ہے کہ اردو اکاڈمی کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ کا کیا رویہ ہے آج جو حکومت براجمان ہے یو - پی میں اس نے اردو اکاڈمی کو ختم کر دیا ہے اور وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وہ اسٹینڈ اسٹیل ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ۲۰ لاکھ روپیہ دیا تھا ٹیکسٹ بک خریدنے کے لئے یہ کوئی جواب ہوا - آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے - آپ کے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے -

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम :** तो सवाल आज यह है कि उर्दू अकेडमी के साथ मौजूदा गवर्मेन्ट का क्या रवैया है। आज जो हकूमत आजमान है यू० पी० में उसने उर्दू अकडमी को खत्म कर दिया है और वहां कोई काम नहीं हो रहा है वह स्टैंड इस्टिल है और आप जवाब दे रहे हैं कि पिछली हकूमत ने 20 लाख रुपया दिया था टैक्सट बुक खरीदने के लिए। यह कोई जवाब हुआ। आपकी हकूमत क्या कर रही है। आपके प्राईम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं यह बतायें।]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You can make that point when you speak. Your name is on the list.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन, इस हकूमत ने दो महीने पहले एक लाख रुपया उर्दू अकादमी को दिया है। अभी हाल में दिया है और चीफ मिनिस्टर ने यह एलान किया है कि जितने रुपये की जरूरत होगी, अगर करोड़ रुपयों की जरूरत होगी तो वह भी वे उर्दू अकादमी को देंगे। चूंकि आपके दोस्त वहां से हट गये और दूसरे लोग वहां आ गये इस लिये आप को बड़ा नागवार लग रहा है। आप ने यह भी कह दिया कि यह चौधरी साहब ने यह कहा है कि मुगलों की भाषा है . . .

شری محمد یونس سلیم : زیادتی نہیں غلط بیانی کی اس میں فرق ہے -

It is an incorrect statement of facts.

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम :** ज्यादती नहीं गल्त बयानी की इसमें फर्क है।]

It is an incorrect statement of facts.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : चौधरी चरण सिंह ने यह नहीं कहा कि यह मुगलों की भाषा है, चौधरी चरण सिंह ने यह नहीं कहा कि यह तुर्की की भाषा है। ब्लिटज़ में जो निकला है मैंने उसे देख लिया है।

एक माननीय सदस्य : आप उर्दू पढ़ सकते हैं?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : चौधरी चरण सिंह ने सिर्फ यह कहा कि मुगलों की आमद के साथ उर्दू की आमद हुई और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस को हम भुला नहीं सकते।

श्री श्रीकान्त वर्मा : यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है।

Don't distort historical facts.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उर्दू का नाम पहले ओरदी था। जब मुगल यहां आये तो यहां की फौज की अपनी जबान सिखाने के लिये उन्होंने कुछ लफ्जों को इकट्ठा करके एक ज़बान बनायी और वह ओरदी ज़बान थी।

श्री श्रीकांत वर्मा : बाबरनामा उर्दू में है या पर्शियन में ?

श्री नागेश्वर प्रशाद शाही : वह ओड़िदी आजकल उर्दू बन गया है । . . .

†[ ] Devnagari transliteration.

شری محمد یونس سلیم : جو بات کہیں گے غلط نہ کہیں گے -

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : जो बात कहेंगे गलत न कहेंगे ।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप लोग उर्दू को मजहब के साथ मत जोड़िये ।

شری محمد یونس سلیم : کون جوڑ رہا ہے -

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : कौन जोड़ रहा है ?]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, उर्दू ने बंगला देश में कैसा हंगामा पैदा किया । *(Interruptions)*

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी : श्रीमन्, पाइन्ट आफ आर्डर ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You can reply. There are lot of speakers. That point can be made afterwards, otherwise we will not be able to finish. You need not give provocations. Let us carry on.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उर्दू के लिए उत्तर प्रदेश में 4 हजार टीचर्स अपाइंट किए गए ।

श्री खुरशीद आलम खान: कांग्रेस गवर्नमेंट ने किए ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : यह रिपोर्ट उसी शासन की है । *(Interruption)*

شری محمد یونس سلیم : آپ کیا کہنا چاہتے ہیں -

†[श्री मुहम्मद यूनुस : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मुझे खुशी हुई कि चार हजार बेकार लोगों को रोजी मिल गई लेकिन वह चार हजार टीचर्स चार महीने के बाद लखनऊ में इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से मांग की कि हमको पढ़ाने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं है । हम बेकार बैठे रहते हैं, हमको विद्यार्थी दीजिए ।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह: (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है । मैं प्रेसिडेंट रही हूं । *(Interruptions)*

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इतने ज्यादा टीचर्स की नियुक्ति की गई लेकिन विद्यार्थी नहीं हैं । उसके बावजूद भी हमारे शर्मा जो कहते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर का इन्तजाम नहीं है । जो टीचर्स हैं, मेरे साथ चलिये मैं दिखलाऊ, ऐसे ऐसे कूल हैं कि पढ़ने वाला कोई नहीं है । एक नहीं सैकड़ों स्कूल हैं, उर्दू टीचर हैं, लेकिन एक भी उर्दू पढ़ने वाला नहीं है ।

شری محمد یونس سلیم : سب مر گئے ختم ہو گئے جتنے اردو پڑھنے والے تھے آپ اکیلے بچ گئے -

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम सब मर गये ख़त्म हो गये जितने उर्दू पढ़ने वाले थे आप अकेले बच गये ।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इनको परेशानी क्यों हो रही है ?

شری محمد یونس سلیم : اس لئے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں -

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : इसलिए कि आप गलतबयानी कर रहे है ।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : शर्मा जी ने कहा कि हैड-मास्टरों का ट्रांसफर हो गया ।

†[ ] Devnagari transliteration.

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

चार भाषाओं के सवाल पैदा हो गए । यह इसलिए हुआ कि चूंकि आज अंग्रेजी को बरकरार रखा जा रहा है । मैं चलेंज के साथ कह सकता हूं कि इस हाउस में कितनी बार उर्दू ये बोलते हैं । यह पोलिटिकल वजह से, अखबारों में छपे कि लोगों ने कहा हां साहब उर्दू के लिए बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं । हमेशा अंग्रेजी में बोलने वाले लोग उर्दू की बातें करते हैं। *(Interruption)*

شری سکندر علی وجد : آپ غلط بیانی کر رہے ہیں - الیکشن میں تقریر کر رہے ہیں ہمیشہ میں اردو میں بولتا ہوں -

श्री सिकन्दर वज्द अली : आप गलत बयानी कर रहे हैं । इलेक्शन में तकरीर कर रहे हैं ? हमेशा मैं उर्दू में बोलता हू ।]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAGSHMANA GOWDA): Let him continue. You are on the list of speakers.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अगर भाषा का सवाल रखा जाए और अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो कोई झगड़ा भाषाओं का नहीं पैदा होगा, जैसा हमारे नेपाली दोस्त ने कहा । श्रीमन्, इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए । आप जो मांग कर रहे हैं, यह मांग नहीं कर रहे हैं कि उर्दू की तरक्की की जाए । उर्दू की तरक्की के लिए सरकार सब कुछ कर रही है । *(Time bell rings)* आपकी मांग यह है कि उर्दू को सैकिण्ड जबान डिक्लेयर किया जाए । जवाहरलाल जी ने भी इसको नहीं माना ।

شری محمد یونس سلیم : اردو سے انصاف کیجئے - هم سیکنڈ لنگویج کے اپروچ کی بات نہیں کرتے -

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** : उर्दू से इन्साफ कीजिए । हम सैकेण्ड लैंग्वेज की एप्रोच की बात नहीं करते ।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उर्दू के दूसरी जबान बनने के लिए तो इन्दिरा गांधी भी नहीं मानीं, जवाहरलाल जी भी नहीं माने ।

شری سکندر علی وجد : کانسٹی ٹیوشن میں لکھا ہے -

†[**श्री सिकन्दर अली वज्द** : कान्स्टीट्यूशन में लिखा है ।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उर्दू में आप चिल्ला रहे हैं । आप वैसे ही चिल्ला रहे हैं । इसके लिए आपके पास कोई वैज्ञानिक तर्क होना चाहिये । आप ख्वामखाह में बात उर्दू की करते हैं और बोलते अंग्रेजी में हैं । इस मुल्क में सब से बड़ी लापरवाही जो हुई है और 30 साल से चली आ रही है वह यह है कि तीन भाषा फार्मूला मे दक्षिण की कोई भाषा शामिल नहीं की गई । दक्षिण की भाषा शामिल कर ली जाए । उत्तर भारत में मलयालम, कन्नड़, तेलूगु या तमिल इन में से कोई भी एक भाषा शामिल कर ली जाए तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा । मैं तीन भाषा फार्मूले की बात कर रहा हूं ।

شری محمد یونس سلیم : اردو نہ پڑھائی جائے تامل پڑھائی جائے تیلگو پڑھائی جائے -

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** : उर्दू न पढ़ाई जाये, तमिल पढ़ाई जाये, तेलगू पढ़ाई जाये ।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उर्दू के लिये तो चार हजार टीचर अपाएंट कर दिये गये है ।

†[ ] Devnagari transliteration.

شری محمد یونس سلیم : تھری لینگویج فارمولے میں انگریزی اور ہندی کے ساتھ کیا اردو نہیں پڑھائی جا سکتی -

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : थ्री लेंग्वेज फार्मूले में अंग्रेजी और हिन्दी के साथ क्या उर्दू नहीं पढ़ाई जा सकती ।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं उर्दू पढ़ा हूं। मैं उर्दू का हिमायती हूं। ये लोग जो फर्जी हिमायती हैं बोलते अंग्रेजी में हैं और बात उर्दू की करते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि इस देश की इंटिग्रेशन के लिए, इस देश की यूनिटी के लिए लाजिमी है कि उत्तर भारत के राज्यों,—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा—में दक्षिण की एक भाषा जरूर पढ़ाई जाए। श्रीमन्, अगर सब भाषाओं को एक साथ चलना है और सब की अपनी तरक्की होनी है तो लाजिमी है कि लिपि एक हो। उर्दू की तरक्की तभी हो सकती है जब कि वह देशी लिपि में आए। पर्शियन लिपि में होगी तो उसको कोई नहीं पढ़ पायेगा। उर्दू नागरी लिपि में पढ़ने वाले लाखों-लाख लोग हैं, उर्दू को समझने वाले लाखों लाख लोग हैं। लेकिन जब तक आप उर्दू को पर्शियन लिपि में लिखेंगे, बात करेंगे तब तक उर्दू को कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं समझेगा। नागरी लिपि में उर्दू पढ़ाइये गये कन्नड़ पढ़ाइये, तेलुगु पढ़ाइये, तमिल पढ़ाइये तो मैं समझता हूं सारी भाषायें तरक्की करेंगी, देश का इंटिग्रेशन होगा, देश में एकता आएगी।

شری محمد یونس سلیم : انگریزی بھی ہندی لپی میں پڑھائی جا رہی ہے -

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : अंग्रेजी भी हिन्दी लिपि में पढ़ाई जा रही है।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : नागरी लिपि में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है आपको शायद मालूम नहीं है। ये लोग ख्वाहमखा में इस भाषा को राजनतिक रंग देकर अपनी बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने कभी उर्दू की खिलाफत नहीं की है। चौधरी चरण सिंह ने इतिहास की बात कही है। उसको ये लोग दूसरा कलर देना चाहते हैं। मैं इस तरह की बातों की, इस तरह के आरोपों की घोर निन्दा करता हूं।

شری محمد یونس سلیم : یہ کس ہسٹری میں ہے -

†[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : यह किस हिस्ट्री में है।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हिस्ट्री मैं बता रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It will be late if you go on giving the history. Please conclude. Otherwise it will take a long time.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उर्दू इस देश में महफिल और अदालतों की जबान रही है। कभी अवाम की जबान नहीं रही है. मैं चलेंज करता हूं आपको। उर्दू अगर जबान रही है तो केवल अदालतों की और महफिल की रही है और आज भी अदालतों की जबान है।

श्री श्रीकान्त वर्मा : लखनऊ और दिल्ली में बोली जाती है।

(*Interruption*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : यह कोई अवाम की जबान नहीं है।। धन्यवाद।

†[ ] Devnagari transliteration.

SHRI C. P. MAJHI (Orissa): Sir, the problem of linguistic minorities is a very sensitive one and it a very good thing that quite a number of Members have participated in the discussions on the Report. But from the Minister's statement, it appeared to me that the Commissioner of Linguistic Minorities is only presiding over an office which has no authority, no mandatory power to at least compel those erring State Governments to take care of the linguistic minorities. As my friend, Mr. N. R. Choudhury said, every community in the country is a minority somewhere or other. If it is in a majority in one State, it is in a minority in the other State. It is an accepted fact.

Our country is a vast country and as our late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru said, it is a beautiful carpet and all the communities here are colourful decorations. It is just like a beautiful carpet and every community has a contribution to the beauty of the country as a whole.

Sir, political freedom was won by the people of India thirty years ago and everybody, irrespective of caste, community, religion and sex, participated and took part in the freedom movement and made a supreme sacrifice. With that sacrifice, we achieved the independence. Unfortunately, after so much of sacrifice the country went into a sort of communal strife and our country was ultimately divided on the basis of language. This was a very unfortunate and a tragic episode in the history. It was never possible anywhere to demarcate a State exactly on the basis of languages. Some communities remained in a State as a majority and in the neighbouring state they became a minority. Problms mounted up for those communities which were reduced to minority in a particular State. This has been borne out by the facts and the Commissioner has made out clearly in his Report that in some States the communities which were in a minority have been ignored by the State Government. This has happened in a number of States.

Because of time factor, I will only dwell upon a few facts which have been mentioned in the Report. In the State of Bihar, there were areas which were predominantly populated by Oriya community before the States Re-organisation Commission's recommendations were implemented. Those areas, Sareikella and Kharsnan, were predominently populated by Oriya community. Immediately after those areas came to Bihar, the minority community had to face a lot of suppression by the officials of the State Government. Their demand to have educational institutions was never conceded by the State Government. The educational institutions which were imparting education in Oriya medium were immediately converted into Hindi medium institutions, and the Oriya teachers who were there, were asked to undergo a training in the Hindi language. They were compelled. For re-allocating their jobs they had to undergo the training in Hindi. But, unfortunately, the Oriya students who were in large numbers, had to leave those places and they went to the neighbouring State of Orissa. In the meanwhile, the number of Oriya schools there were reduced, and only three or four such institutions are still there which are managed by private voluntary organisations. Those people have been appealing to the Government for some help, but, unfortunately, the State Government of Bihar has not recognised their claim, and the institutions are being starved. But for a few determined Oriya people, those institutions would have vanished. Sir, this is the aweful story of the minority communities in Bihar.

5 P.M.

Sir, I will now tell about my own minority community the Santhals. It is in minority in three States, Orissa, Bihar and West Bengal, but nowhere has their language been recognised.

[**The Vice-Chairman (Shri H. M. Trivedi) in the Chair**]

They have been appealing to the three State Governments for recognition to the Santhali language, but their appeal has been of no avail. Sir, the Santhali speaking community are predominating in quite a large number of districts of Bihar, West Bengal and Orissa, and in spite of the Constitutional safeguards to impart education to the tribal children at the primary stage in their own language, this has never happened during the last 30 years. The Santhals have, by their own efforts, developed their literature, developed their script and they now have their own institutions managed through private contributions. During the erstwhile regime, a decision was taken by the Government of India to give this language a place of prominence as far as All India Radio was concerned. Half an hour's time was allotted to Santhali language and it is now being broadcast from the Calcutta Station of All India Radio.

Sir, I urge on the Government that this community which is predominant in those areas is being neglected for none of their faults. On the one hand, the Government says that it is giving a lot of consideration for the development of these backward tribal communities but, on the other hand, there is no manifestation of any sympathy from the Government. (*Time bell rings.*) Sir, the tribal communities as a matter of fact, were very much encouraged when the conscience-keeper of the Janata Party, Jayaprakashji, that India should go in for smaller States, and that was also corroborated by some report which said that the Home Minister was also considering reorganisation of States in that light. (*Time-bell rings.*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude.

SHRI C. P. MAJHI: I am finishing. You have given a lot of time to other Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M TRIVEDI): There are six more speakers.

SHRI C. P. MAJHI: These views were actually very much appreciated by the people from the Adivasi community and they have in some areas in Bihar and Orissa started this Jharkhand movement. I will certainly say that if the Government could decide on this matter and also concede, as a last resort to solve the problems of the tribals, the carving out of a Jharkhand State, will certainly solve many of the problems of the tribals. Of course, the people of the Adivasi community of those areas may not be speaking the same language, but economically they belong to the same group and they can develop their own languages. (*Time-bell rings.*) I am finishing. I shall conclude my speech by making a request to the Government that the State Governments should be given a direction that the minority communities should be given some sort of importance in the matter of education, and the constitutional safeguards should be implemented. Unless this is done, communalism will continue to raise its ugly heads and our country will be facing trouble once again and again.

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset I thank you for having given me a few minutes to talk on this important subject, the Report of the Linguistic Minorities Commission. I must say that I have not been able to catch hold of a copy of the Report. I understand it was tabled in the month of June, but at that time I was not a Member. However, the language problems are quite alive, and every citizen is aware of them. As a matter of fact and as you know, Sir, the Indian National Congress during its days of struggle against the British imperialism had always spoken about these language problems. In fact, for various sessions they promised to the nation that after attainment of independence the country would be reorganised on linguistic basis. As a matter of fact, it was

[Shr L. R. NAIK]

done. A commission was appointed. It was called the States Reorganisation Commission. Though the Commission did not give any pronouncement as such that they would be dividing the country on a linguistic basis, yet the ultimate result was the same. But the question was whether these States, formed on a linguistic basis, could get rid of the language problem. I am afraid we have not been able to do it. That problem is very much alive. We have seen today in the House itself so much of commotion on this language problem. I only felt relieved that the speakers did not come to blows. But this is the tendency in our country. Of course, it is not new. With the coming into force of these States, as, for example, in my own State—Karnataka—we are facing problems with as many as five languages. We have the Marathi-speaking people; we have Telugu; we have Tamil; we have Malayalam; and besides these languages there are several dialects which are coming to the forefront now. You must have heard of Konkani in Goa. Those people want that that language should be recognised though Konkani is only a dialect, though that language is only a spoken language and it does not have a script at all. Besides the 19 languages that have been scheduled in our Constitution, there are many languages which do not have scripts. Just now a Member spoke of his own language. If we were to raise all such languages to the status of a recognised language, then I am afraid, it will lead to disintegration of our great country. In the past the caste system reduced us to ashes. In future this language problem will further wipe us out. So it is necessary that all right-mannered persons in the country should seriously think of this problem. They should not be guided either by their regional considerations or by their political considerations. It is high time we did such serious rethinking in the matter. In the light of this I have a suggestion to make. I place that suggestion with reference to the knowledge that I have obtained during my stay in England for over a decade. The language problem is not new to European countries. In UK alone there are three languages—Scotch, Welsh and English. Besides these, in London city alone in an area of one square mile they have a dialect called Khokani. In Switzerland, for instance, there are three clear-cut areas—the French, the German and the Italian. You have similar variations in France and Germany. But how is it that in those countries we do not find any such language problem? There is no language grievance, no language bias, there. The very important reason for that is all these European languages have adopted one script for their languages, and that is the Roman script. I was in Norway for some time back. A friend of mine there told me that about 350 years ago they had their own script. Similarly in Germany I was told they had their own scripts. But all such scripts have been done away with and those people have now accepted one script, and that is the Roman script...

SHRI SHRIKANT VERMA: Sir, there is a historical error in it, because Europe does not have one script; there are several scripts in Europe. There are several variations.

SHRI L. R. NAIK: There are several variations; I know that. But the absic script is the Roman Script. I have seen the scripts of all the languages. The basic script is Roman script. There are variations depending on the sound of the language. Like that, Sir, we can have it here also. I do not say it should be used as a prototype. I do not say that. But it has been used in those countries and the result has been that there has been integration in most of these countries. Why should we not also think of those things to solve our problems on those lines? I would like to ask all our linguistic fanatics to keep quiet for some time and devote their attention to the question of how-best to develop all the languages in our country and how to make them understood by a large number of people. Sir, we have accepted the three-langu-

age formula. No doubt, it can go a long way in solving our problems. But that is not sufficient. What is needed is that every child, whether the child is in Tamil Nadu or in Andhra or in Kerala or in UP, wherever the child may be, must have scope to learn other languages with ease and this is a very important thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude.

SHRI L. R. NAIK: If we give such facilities to all our children, I am sure we will be able to bring about inntegra_ tion in the country and this will go a long way in solving our problems. it is no use saying that Urdu is better than Hindi or Hindi is better than Urdu or Kannada is better than Telugu and so on. Every language is rich and every language has produced great people, great literary people, and every language has produced many great people at State level and certainly some at the national level. (*Time bell rings*)...This is the history and this is the heritage of each language in the country. I would, therefore, like to ask all the honourable Members of this House to bestow their thought and attention on these issues and also, Sir, I would like to give a warning. Of course, the policy of the Government has provided for a Commissioner for Linguistic Minorities. But what can that poor man do? He has no teeth and he cannot bite. The honorable Minister has said that these are the Fifteenth and Sixteenth Reports and the Eigteenth and the Nineteenth Reports would be submitted very soon. Now, if you go through all these Reports, you will find that they are all the same thing. The same type of language also is used it is because they are all copies, one from the other. For years they have been copied, one from the other. Of course, something is inserted here and something there and a report is produced and it is placed before the Parliament and a discussion takes place. And, Sir, in a day we are supposed to finish the whole thing and get up. That is not sufficient. This is a very serious matter. As it is a very serious problem, it requires a bold solution. Unless you suggest bold solution, I am afraid, we will not be able to solve the problem. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Yes, Mr. Kalp Nath Rai. Mr. Kalp Nath Rai, will you please be brief?

SHRI KALP NATH RAI: No, Sir. This is a very important thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): I know it. But we have to conclude it and the Minister has to reply at 5-30 P.M. We have only 15 minutes now.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह लिंगुइस्टिक माइनारिटीज की रिपोर्ट अंग्रेजी में पेश की गई है। इससे लगता है कि इस देश की जनता सरकार की कितनी दिलचस्पी इस मुल्क की भाषाओं को पनपाने की है। भाषा का सवाल एक राष्ट्रीय सवाल है, भाषा का सवाल देश की आजादी से जुड़ा हुआ है, भाषा का सवाल देश के औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है, भाषा का सवाल देश की माइनारिटीज से जुड़ा हुआ है ...

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम है कि भाषयी अल्पसंख्यक आयुक्त की 16वीं रिपोर्ट हिन्दी में दी है और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रति प्रेम को दिखाते हुए अंग्रेजी में रिपोर्ट मांगी होगी इसलिए उनके पास अंग्रेजी में रिपोर्ट पहुंची है।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह भाषा का सवाल, विशेषकर जब तक हिन्दुस्तान की संसद में अंग्रेजी राजकाज की भाषा रहेगी तब तक न उर्दू का विकास हो सकता है, न तमिल का विकास हो सकता है, न तेलगू

[श्री कल्पनाथ राय]

का विकास हो सकता है, न कन्नड़ का विकास हो सकता है, न सभी मातृभाषाओं का विकास हो सकता है। हिन्दुस्तान की आजादी के 30 साल के बाद भी आज अंग्रेजी रानी है और हिन्दुस्तान की सारी भाषाएं दासी बनी हुई हैं। हिंदी, उर्दू, तेलगू, तमिल, कन्नड़, बगला इत्यादि ये सभी बहिनें हैं। जब हिन्दी उर्दू की ओढ़नी ओढ़ लेती है तो बहुत हसीन बन जाती है और जब हिन्दी उर्दू की पोशाक पहन लेती है तो बहुत बेकरार बन जाती है। किसी भाषा को किसी जाति या किसी मजहब के साथ नहीं बांधा जा सकता। जिस मुल्क में चौधरी चरण सिंह जैसे गृह मंत्री हों उस का तो सर्वनाश होना निश्चित है। जिस देश में मोरारजी जैसे प्रधान मंत्री हों कि जो देश को समझ नही सकते हों, वही अनापशनाप बातें कर सकते हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी जी ने कहा कि हिन्दुस्तान में गृह मंत्री चरण सिंह साहब के रहते इस देश की माइनारिटीज और भाषाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो भाषा का सवाल पूरे मुल्क से जुटा हुआ है। हमारे मुल्क में 'इन्कलाब जिन्दाबाद' सभी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यही नारा लगाकर हिन्दुस्तान को आजाद कराया। जनता पार्टी के नेतृत्व में यही नारा लगाकर हमारे गृह मंत्री जी यहां आ गये तो यह नारा जो है इसके दोनों शब्द उर्दू के हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जिन्होंने इम्फाल के मैदानों में कहा था "कदम कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा, यह जिन्दगी है कौम की तू कौम पर लुटाये जा।" यह है हिन्दुस्तान की भाषा। यह भाषा है कौमी जिन्दगी के नस्बुलऐन को रोशन बनाने वाली भाषा। इसमें किसी व्यक्ति या मजहब का सवाल नहीं। यह भाषा हिन्दुस्तान में पनपी, बढ़ी और हिन्दुस्तान में इसका विकास किया जाना चाहिए। हमारे चन्द्रशेखर आजाद ने कहा था : 'गरीबों को मिले रोटी तो हमारी जान सस्ती है। हम दुश्मनों की गोलियों का, सामना करेंगे। हम आजाद है, हमेशा आजाद रहेंगे।' यह किस की भाषा है। जब तक हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राजकाज की बोली रहेगी तब तक हिन्दुस्तान की मातृ भाषाएं, अल्पसंख्यकों की भाषायें—उर्दू, तमिल, तेलगू आदि को पनपने का कोई मौका नहीं है और भाषा की बहस केवल दो घंटे की नहीं होनी चाहिए। आप की संसद को बैठ कर इस भाषा के सवाल पर पूरी बहस करनी चाहिए और पूरी बहस के बाद जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर हमको अपनी भाषा नीति को तय करना चाहिए। मैं लार्ड मेकाले को कोट करना चाहता हूं। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लिये जो शिक्षा नीति तय की गई वह उसने की थी और उसने कहा कि :

"We must do our best to form a class which may be an interpreter between us and the millions whom we govern—a class of persons, Indian in blood and colour but English in intellect."

हिन्दुस्तानियों को अगर जन्म जन्म के लिये गुलाम बनाये रखना है तो उनकी भाषा को अंग्रेजी बना दो। यह बात लार्ड मेकाले ने कही। *(Time bell rings)* श्रीमन्, आपने घंटी बजा दी यह सवाल ऐसा है कि जिस पर घंटों बहस चल सकती है और मंत्री जी खड़े होकर बोलेंगे क्या जब तक कि भाषा के संबंध में वह मूल बातों को नहीं समझते हैं और सुनने की कोशिश नही करते हैं . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): May I draw your attention to the fact that we are discussing the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities? We are not discussing the whole policy of our languages as such.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, लिंग्विस्टिक माइनारिटीज का संबंध भाषा से है और हमारे संविधान में 14 राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनकी कई उपशाखाएँ

भी हैं। तो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा। अंग्रेज यहां से चले गये, अंग्रेजी हमें हटानी है। धनिकलाल मंडल जो, आपने भी यह नारे लगाये हैं और डा० लोहिया ने भी यह बातें कही थीं। क्योंकि भाषा का सवाल गुलामी से जुटा हुआ है। इस मुल्क की भाषा का सवाल हल नहीं होगा तो भूख की समस्या हल नहीं होगी, और औद्योगिक की समस्या हल नहीं होगी, बेकारी की समस्या हल नहीं होगी। सीमाओं की रक्षा नहीं होगी। मुल्क को हम बचा नहीं सकते। इसलिए भाषा और माइनारिटीज का, उर्दू और हिन्दी के साथ मुसलमानों और हिन्दुओं को जोड़ देना, यह नजरिया हिन्दुस्तान में रहेगा तो हिन्दुस्तान कभी अपनी रक्षा नहीं कर सकता।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की हुकूमत थी तो राजकाज की बोली संस्कृत थी और बोलचाल की भाषा हिन्दी थी। जब इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत हुई तो राजकाज की भाषा फारसी और बोलचाल की भाषा हिन्दी और उर्दू रही। जब यहां अंग्रेजों ने गद्दी संभाली तो राजकाज की भाषा अंग्रेजी और बोलचाल की भाषा हिन्दी और उर्दू थी। जब इस देश में भारतीयों का राज हुआ तो राजकाज की भाषा अंग्रेजी और हमारी बोली हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलगु हो गई। इस अंग्रेजी ने हमेशा भारतीय भाषाओं में झगड़ा उत्पन्न करने की कोशिश की। यही कारण है कि भाषा की ओर भूख की समस्या हमारे देश में बनी रही और रहेगी।

(Time bell rings)

THE VICE CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं खतम करूंगा। हिन्दुस्तान के संविधान की धारा 345 में लिखा हुआ है कि भारत के राजकाज के लिए मातृभाषा होगी। 346 में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रपति एक आयोग बैठायेंगे जो 15 वर्ष के अन्दर धीरे धीरे अंग्रेजी को खत्म करके मातृभाषाओं को चलायेगा। धारा 347 में लिखा हुआ है कि . . . *(Interruptions)*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): I am sorry. I cannot allow you. I will have to call the next speaker.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, धारा 347 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का राजकाज और यहां की बोली मातृभाषा में होगी। तो मुट्ठी भर लोग मुख में अंग्रेजी की बोली और हाथ में बन्दूक की गोली लेकर देश की 60 करोड़ जनता की छाती पर बैठे हुए हैं। इसलिए मातृभाषाओं को उठाने के लिए जरूरी है कि हिन्दी औरउर्दू को उत्तरप्रदेश की दूसरी भाषा बनाई जाए। उर्दू को बिहार की दूसरी भाषा बनाया जाए। उर्दू को हिमाचल प्रदेश को, पंजाब की, हरियाणा की, दूसरी भाषा बनाया जाए और उर्दू को दूसरी भाषा बना कर अंग्रेजी को समाप्त करके मातृभाषाओं को स्थापित किया जाए।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माइनारिटीज कमीशन की, लिंग्विस्टिक माइनारिटीज कमीशन की बराबर रिकमेंडेशंस आती रहती है। हमारे संविधान में साफ-साफ लिखा है कि हर एक को अपनी मादरी जबान बोलने की पूरी पूरी इजाजत होनी चाहिए और वह जबान जो हमारे कंस्टीटयूशन में है उन सब को ज्यादा से ज्यादा तरक्की देनी चाहिए और उसमें सरकार की पूरी पूरी मदद देनी चाहिए। मगर हर माइनारिटी लेंग्वेज के सिलसिले में इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है।

उप सभाध्यक्ष महोदय, यह बता सही है कि जहां तक उर्दु का ताल्लुक है, जिसकी बात अभी काफी हो रही थी, एक जमाना था जैसा कि हमारे भाई ने फरमाया,

[श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह]

रामप्रसाद बिस्मिल्ला, भगत सिंह और असफाक उल्ला ने एक साथ मिलकर गया था और 'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है' के इशारे पर हिन्दू मुसलमान जुड़ गये तो अंग्रेजों को डर लगा कि सब हिन्दू मुसलमान एक जबान बोलते है, एक जगह जुट गये है। तो उर्दू का एक खास मकसद था। उर्दू का मकसद इस देश में मुहब्बत, दोस्ती और एका पैदा करना था। सबकी एक जबान हो गई, सब एक जबान बोलते थे। तो हिन्दी से उर्दू को अलग कर दिया जाए तो हिन्दी बेकार है, उर्दू से हिन्दी को अलग कर दिया जाए तो उर्दू बेकार है। इस तरह से एक मिसाल दी गई कि जैसे कि एक खूबसूरत ऐवान की तरह से। उसकी दो आंखें है एक हिन्दी है और दूसरी उर्दू है। अगर एक आंख अन्धी हो जाती तो दूसरी आँख काम नहीं करती और खूबसूरती खत्म हो जाती है। इस देश की खूबसूरती हिन्दी और उर्दू है। जहां हिन्दी बोली जाती है वहां उर्दू भी बराबर बोली जाती है। यह जुबान ऐसी है जिसे हर हिन्दू, मुसलमान, सिख ईसाई सब बोलते है, सब बच्चे जिसकी फिल्में देखते है, जिसकी गजलें हिन्दुस्तान में हर जगह सुनी जाती है, और इनके गीत हर चौराहे पर हर जगह पर सुने जाते है। यह वह जुबान है जिसे अंग्रेज ने इनको तोड़फोड़ करने के लिए उर्दू को मुसलमानों की जुबान बना दिया और हिन्दी को हिन्दुओं की जुबान बना दिया। लेकिन न हर प्रान्त के मुसलमान उर्दू में बोलते है, न हर प्रान्त के लोग हिन्दी में बोलते है। वह तो उत्तर प्रदेश की नहीं हिन्दुस्तान के बहुत से सूबों की एक ही जुबान है और केप-कैमरिन से लेकर हिमालय तक सब जगह समझी जाती है और बोली जाती है। इसी वजह से अंग्रेज इसके दो टुकड़े कर गये है। महात्मा जी ने बार-बार कहा है, लिखा है कि हिन्दुस्तान की जुबान दोनों स्क्रिप्टस में होनी चाहिये- देवनागरी और फारसी स्क्रिप्ट में पढ़ाई जाए ताकि दोनों की स्क्रिप्ट जानने वाले एक-दूसरी की मदद कर सकें। जो मैंने यह सुना और स्टेटमैंट अखबारों में देखा जो हमारे मुहतरिम लीडरों ने दिया है उससे मुझे बड़ी हैरत हुई। अपने प्रधान मंत्री की मैं बहुत इज्जत करती हूं। अपने चौधरी चरण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे, ने उर्दू के खिलाफ बात कही। इससे मुझे हैरत हुई। इस पर मुझे एक शेर याद आता है:

'कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आता है'।

यह बात, सोच-समझ कर जनता पार्टी ने अपने मैनीफैस्टों में कही है। आज महात्मा गांधी की याद करने वाले लोग, महात्मा गांधी की कस्म खाने वाले लोग आज महात्मा गांधी की वह खास बात जिसकी वजह से वह चाहते थे कि सारा देश एक-दूसरे से मिल कर रहे, इस पर मुझे एक शेर याद आता है:

"चिश्ती ने जिस जमीं में पैगामे हक सुनाया
नानक ने जिस चमन में पे वहदत का गीत गाया,
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।"

हमारी उर्दू जुबान इसको जिंदा रखने के लिये है। यही चीज थी, यह एका था जो उर्दू जबान लेकर आई। उर्दू और हिन्दी दोनों को मिलकर इस मुल्क में मोहब्बत और दोस्ती का गाना गा रहे थे, राग उठा रहे थे। **(*Time bell rings*)** मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हमारी मांग यह है कि उर्दू को हम सैकिण्ड लैंग्वेज बनाकर, आफिशियल लैंग्वेज बनाये, क्योंकि आफिशियल लैंग्वेज जब तक नहीं बनेगी, सरकारी स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक कोई जुबान आमतौर से पनप नहीं पाती है। इसको सरकारी स्टेटस मिले इसलिये

थी लैंग्वेज फार्मूले के जरिये इसको शामिल किया जाए। मैं मंत्री जी से दर्खास्त करती हूं कि मैं उर्दू बोर्ड की प्रेजीडंट भी हूं इसलिये मैंने बहुत ही गौर से इसको स्टडी किया। मुझे यह खतरा है कि अगर खाली फसिलिटीज दी गई, खाली कुछ सुविधाए दी गई तो एकतरफा बात हो जाएगी। जिसके मां-बाप उर्दू जानते है वह तो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ायेंगे लेकिन जिसके मां-बाप उर्दू नहीं जानते वह अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ायगे। कभी उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं थी मगर अब खतरा यह है कि अगर सिर्फ फैसिलिटीज मिलेगी तो उर्दू फैलने वाली नहीं है। और नहीं तो अगर इतनी फैसिलिटी दे दी जाए कि आठवें दर्जे तक हिन्दी और उर्दू कंपलसरी कर दी जाए तो आपको मालूम होगा कितने ही नाम है जो इसके लिये आगे आयेंगे-रघुवर सहाय, जगबस्त, जगन्नाथ आजाद और आनन्द नारयण मुल्ला है। इस जुबान में बड़ी-बड़ी किताबें है और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इन सब की यह फर्स्ट लग्वेज है। आन्ध्र, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात इन सब जगहों में यह जुबान बोली जाती है और समझी जाती है। यह जो जुबान सब जगह बोली जाती है, समझी जाती है इसमें सिर्फ स्क्रिप्ट का फर्क है अगर इसे हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ेंगे तो एका रहेगा। अगर सिर्फ सुविधाएं दी जायेंगी उसको किसी लेवल पर कंपलसरी नहीं किया जाएगा तो उसका नतीजा यह होगा कि वह दबी जुबान रह जाएगी। अगर इसको सुविधाएं दी जायगी तो हमारे देश के इंटिग्रेशन और इस देश की एकता कायम रह सकेगी। हम इस जुबान को नजदीक लायेंगे तो हम में मोहब्बत पैदा होगी। हिन्दी जुबान और उर्दू जुबान को नजदीक ला कर हम देश की एकता को कायम कर सकते है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका हुकम मान कर मैं अपनी बात यहीं खत्म करती हूं। सिर्फ एक शेर याद आता है जो मैं सुनाना चाहती हूं :

मैं हुब्बावतन से हर बशार सरशार हो जाए,
मिले जब कोसर औ गंगा तो बेड़ा पार हो जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Sorry, it is difficult to accommodate Mr. Yadav and Mr. Mahanti. I now call upon the Minister to reply.

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया और अपने रचनात्मक सुझाव दिये, मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी रचनात्मक सुझाव दियें है उन पर हम विचार करेंगे और अमल करेंगे। हमारा देश भारत एक बहुभाषी देश है और हमारे देश में जो विभिन्न भाषायें हैं वे सब विकसित और समृद्ध भाषाएं है एसं उनका अपना महत्व है। ये भाषाएं जिस संस्कृति का प्रतीक है वह संस्कृति भी समृद्ध है, प्राचीन है और अपना महत्व रखती है। इसीलिये इस संस्कृति का व्हीकल ये भाषाएं है। उनको विकसित करना सरकार का काम है, ऐसा उपबंध संविधान में किया गया है और इसी उद्देश्य से जो स्कीमें और योजनाएं समय समय पर बनीं और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, सन 1949 और 1956 में और फिर 1958 और 1961 में जो योजनाएं बनी तथा जिनकी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई और उनको कैसे अमलीजामा पहनाया गया, कैसे भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया उसके संबंध में अपने प्राथमिक वक्तव्य में मैंने कुछ बातें सदन के समक्ष रखी है, हमारे जो भाषायी अल्पसंख्यकों के कमिश्नर है, जिनके 15वें और 16वें प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हुई है उनका मुख्य काम भाषायी अल्पसंख्यकों को संविधान में दिये गये संरक्षणों की रक्षा करना है। उनका यह भी काम है कि भाषायी अल्पसंख्यकों को संविधान में जो सेफगार्ड दिये गये है उनकी जांच करें और हमारे देश में जो

[श्री धनिक लाल मंडल]

लिग्विसटिक माइनोरिटीज है उनकी जो शिकायतें और ग्रीवाइन्सेज हैं उनको दूर करने की सिफारिश करें और उनका इम्पली-मेन्टेशन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसकी भी जांच करके प्रेजीडेन्ट को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उनका यह भी काम है कि कहां कहा पर इस काम में कमियां हैं और स्कीमों या योजनाओं को अमलीजामा पहुंचाने में कहां कहां पर वायलेशन हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट दें। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों के बारे में इस रिपोर्ट में विवरण दिया गया है। इस मौके पर मैं माननीय सदस्यों को और इस सदन की इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह आशंका व्यक्त की गई है कि इन भाषाओं की कोई अवहेलना हम लोग करना चाहते हैं या इन भाषाओं के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित करना चाहते हैं या कोई बहाना या हिला हवाला करना चाहते हैं या हम कोई और योजना बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस आशंका को निर्मूल करना चाहते है।

श्री कल्पनाथ राय : चौधरी चरण सिंह ने जो बयान दिया है उसके संबंध में आपकी क्या राय है ?

श्री धनिक लाल मंडल : आप जरा शांति से सुनिये। आज मै सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं और इस संबंध में एक तर्क देना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने यह एलान किया है, घोषणा की है कि हम एक कमीशन या आयोग गठित करने जा रहे हैं जिसका यह काम होगा कि संविधान में भाषायी अल्प-संख्यांकों को जो सेफ गार्ड दिए हुए हैं, उसकी वह एफिसियेन्सी और एफक्टिविली जाच करें और उसको करने के लिये वह अपनी रिकमन्ड-शनदे। जो रिकमन्डेशन मेन्टेरी और एफेक्टिव है, इस सबको दुरुस्त करने के लिये हम एक कमीशन बहाल करने जा रहे हैं। सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है।

شری سکندر علی وجد - گجرال
کمیٹی بھی تھی اس کا بھی یہی حال
ھوا - رپورٹ نہیں شائع ھوئی -

†[श्री सिकन्दर अली वज्द : गुजराल कमेटी भी थी उसका भी यही हाल हुआ। रिपोर्ट नहीं शाय हुई ।]

श्री धनिक लाल मंडल: : श्रीमन सरकार ने सिद्धान्त इस बात को स्वीकार कर लिया है कि माइनारिटीज या जिस किसी के भी सेफगार्ड, जो कांस्टीटयूशन में दिये गये हैं, उनके उन सेफ गार्डस की रक्षा हो, इसके लिये एक आयोग का गठन किया जायेगा। सिविल राइट कमीशन या माइनारिटीज कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेन्स पर, उसके कम्पोजीशन पर और उसके पर्सनल पर विचार हो रहा है। यह गर्वनमेंन्ट के एक्टीव कन्सीडरेशन में है। इसलिये इस आयोग का गठन किया जा रहा है, जिससे कि ये जो आशंकायें व्यक्त की जा रही है, उनको निमूर्ल किया जा सके।

इसलिये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो भी सेफ गार्डस दिये गये हैं, उनको लागू किया जायेगा। उसमें कोई ढिलाई नहीं की जायेगी। यह आपको मैं आश्वासन देता हूं। मैं माननीय सदस्यों . . .

श्री खुरशीद आलम खान : मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जो कमीशन आप बना रहे है क्या उसका कम्पोजीशन ऐसा ही होगा जैसा कि पुलिस कमीशन ?

श्री धनिक लाल मंडल : पुलिस कमीशन जो बना है आप उसको देखिये . . .

श्री खुरशीद आलम खान : हमारा कोई रिप्रजेन्टेटिव उसमें नहीं है।

श्री धनिक लाल मंडल : जैसा कि माननीय सदस्य श्री श्रीकान्त वर्मा और श्री कल्प नाथ राय जी ने कहा मैं उनकी भावनाओं के साथ हूं कि सभी भारतीय भाषायें आपस में बहनें हैं ये सखी हैं।

† [ ] Devnagari transliteration

ये सभी भाषायें हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है और उन सबका विकास हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में यह कहा है कि हम लोक-भाषाओं और जन-भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास करेंगे और वह पढ़ाई की भाषा बने, वह प्रशासन की भाषा बने कचहरी की भाषा बने, फैसलों की भाषा बने, इसके लिये हम प्रयास करेंगे। इसके लिये जनता सरकार प्रतिबद्ध है। जनता सरकार अपने घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं और लोक-भाषाओं का विकास करने तथा उसे इन जगहों पर स्थापित करने के लिये--स्कूलों में कालेजों और यूनिवर्सिटियों में एडमिनिस्ट्रेशन में और कोर्ट में--वचनबद्ध है। इसलिये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जन-भाषाओं और लोक भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास करते जायेंगे और इसमें कोई त्रुटि नहीं रहने देंगे।

अभी एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है और उन्होंने इसमें जो त्रुटि है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इसके सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्य श्री खुरशीद आलम खां ने कहा कि 1955 से लेकर 1972 के बीच राष्ट्रपति को संविधान की धारा 342 के अन्तर्गत अपने विशेषाधिकार को प्रयोग करने की एक बार भी आवश्यकता नहीं पडी। महोदय इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह वही समय है जब माननीय सदस्य जिस पार्टी के हैं उनकी सरकार थी। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा।

जहां तक कि माननीय सदस्य श्री श्रीकान्त वर्मा जी के प्रश्न का सम्बन्ध है कि दिल्ली में छात्रों को प्रश्नपत्र हिन्दी में मिलते हैं जिससे उन्हें बडी असुविधा होती है। मुझे यह जानकारी है कि दिल्ली में उर्दू भाषी छात्र उर्दू ले सकते हैं। दिल्ली में त्रिभाषी फार्मूला लागू है और इसके अन्तर्गत छात्र निम्नलिखित भाषाएं पढ़ सकते हैं :

हिन्दी, अंग्रेजी तथा कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें उर्दू भी शामिल है।

जहां तक उन्होंने यह बात कही है कि प्रश्नपत्र उर्दू छात्रों को हिन्दी के मिलते हैं मैं उस की जांच करवा लूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय श्री पारीख ने राज्य सरकारों द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के कमिश्नर के साथ जो असहयोग किया जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की, मैं भी उस चिंता में अपने को शामिल करता हूं। अभी उस समय की 1972-73 और 1973-74 की यह रिपोर्ट है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकारें असहयोग का रुख न लें और पूरा पूरा सहयोग करें। इसके लिए हम लोगों की ओर से हर कोशिश होगी। उन्होंने जो दूसरी बात बतलाई कि हमारे जो जोनल कार्यालय हैं उसमें रिसर्च असिसटेंट और रिसर्च टीम नहीं है जिससे जो माइनरिटी कम्युनिटी और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के तथ्य हैं उनमें विवाद पैदा हो जाता है और जिसकी जांच करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं होता और इसलिए जो उन्होंने सुझाव दिए हैं या उन्होंने दोहराये हैं वे हमें मान्य हैं। इसके सम्बन्ध में काफी काम भी हुआ है लेकिन और भी हम इसको देखने के लिए तैयार हैं। हम यह देखेंगे कि आफिस में रिसर्च असिसटेंट और रिसर्च टीम नियुक्त की जाए जिससे यह खामियां दूर हो जाए। ऐसी ही माननीय सदस्यों ने आदिवासियों की भाषा के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और यह सर्वथा उपर्युक्त है कि आदिवासी जो

[श्री धनिक लाल मंडल]

लिंग्विस्टिक माइनर्टी में सब से अधिक हैं संख्या के हिसाब और उनकी जो भाषा है उन की तरफ कम ध्यान दिया गया है और उनके विकास की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस कमी को हम दूर करना चाहते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में अपने विभाग से भी बात की है कि क्यों न हम आदिवासियों की भाषाओं के विकास के लिए एक भारतीय भाषा संस्थान बनाएं जहां इन भाषाओं के लिए काम हो। मैं इस पर विचार करूंगा और इसको अमल में लाऊंगा। माननीय सदस्य श्री शर्मा जी ने बिहार की बात उठाई। जहां तक मुझे मालूम है बिहार की स्थिति ऐसी है। वहां त्रिभाषी फार्मूला है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में त्रिभाषी फार्मूला इस प्रकार से है। हिन्दी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा यथासंभव दक्षिण की भाषा। उत्तर प्रदेश में इसके अन्तर्गत उर्दू एक आधुनिक भारतीय भाषा के अन्तर्गत आती है। और अब भी आ सकती है। इसके हटाने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे ही बिहार में भी यदि मातृभाषा उर्दू हो तो वह त्रिभाषी फार्मूले में आ जायगी। इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दी, आधुनिक भारतीय भाषायें जिसमें उर्दू भी है और अंग्रेजी आती है। बिहार में मातृभाषा, संस्कृत हिन्दी भाषियों के लिये और जो अहिन्दी भाषी हैं, उनके लिए अंग्रेजी। तो जिनकी मातृभाषा उर्दू है वह इस त्रिभाषी फार्मूले में आ जाते हैं। इसलिए योगेन्द्र शर्मा जी ने जो बात कही हमारी जो जानकारी है हमने उनको दे दी। जहां तक ट्रेनिंग कालेज और स्कूलों में उर्दू के माध्यम की बात है और उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात है उन्होंने हमारा जो ध्यान खींचा है हम उस पर ध्यान देंगे।

महोदय, जहां तक श्री आनन्द पाठक जी ने नेपाली भाषा को एक शिड्यूल में, स्तम्भ अनुसूची में शामिल करने के लिए आग्रह किया, उस सम्बन्ध में जो स्थिति है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। नेपाली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। साहित्य एकेडमी ने नेपाली को विकास के लिए एक आधुनिक भारतीय भाषा माना है, नवम्बर दिसम्बर, 1974 में। दार्जलिंग, करस्यांग कालिम्पोंग सब डिवीजनों में इसे अतिरिक्त राजभाषा माना गया है और इसका प्रयोग होता है शासकीय कार्यों में। नेपाली बोलने वाले पश्चिमी बंगाल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन के स्कूल फाइनल तथा हायर सेकेन्डरी परीक्षाओं में प्रथम भाषा नेपाली ले सकते हैं। नेपाली को प्रथम भाषा लेने वाले छात्र उपरोक्त परीक्षाओं के परचे नेपाली में ले सकते हैं। कलकत्ता उत्तरी बंगाल तथा बर्धमान विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्तर तक पढ़ाई का प्रबन्ध है। आसाम में मिडिल स्टैण्डर्ड तक मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन नेपाली माना गया है। गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों में नेपाली ग्रेजुएट तक पढ़ाये जाने का प्रावधान है। पटना, बिहार, भागलपुर तथा वाराणसी विश्वविद्यालयों में भी नेपाली पढ़ाने का प्रावधान है। इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल स्टडीज नई दिल्ली जिसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है में नेपाली पढ़ाने का प्रबन्ध है और मांग होने पर पढ़ायी जाती है। इसलिए जो आनन्द पाठक जी की मांग है उसको मैं समझता हूं कि बहुत हद तक पूरा किया जा चुका है उसमें जो कमी होगी उसको हम लोग देखेंगे।

श्री सिकन्दर अली वज्द साहब ने, महोदय, बहुत अच्छा भाषण किया, उम्दा तकरीर हुई लेकिन उसमें कोई प्वाइंट नहीं बना। उर्दू को हम लोग कतई किसी धर्म या किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ते हैं और न इरादा ही है। लेकिन जैसा कि मैंने आरम्भ में ही अर्ज किया कि झगड़ा हिन्दी और उर्दू का नहीं है, हम उर्दू का भी विकास चाहते हैं जो भी कांस्टीटयूशन में दिया गया है उसके अतिरिक्त जो भी विकास के लिए सम्भव है वह सारे सम्भव उपाय काम में लाये जायेंगे

उपयोग किये जायेंगे और उर्दू का विकास किया जायगा । उर्दू के साथ हमारा बहुत गहरा सम्बन्ध है । जहां तक शाही जी ने कुछ प्रश्नों की सफायी की, मैं उनका आभार मानता हूं । माझी साहब ने आदिवासी भाषाओं के विकास की ओर हमारा ध्यान खींचा है । नायक साहब ने जो बातें सुझायीं मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों को उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । उन्होंने जो भाषा का हल रखा, जिस तरह से यूरोप में उसको हल किया गया है, उन्होंने जो अनुभवकारी हल रखा है, मेरा आग्रह है कि इस सदन के माननीय सदस्य उस पर विचार करेंगे । इसके साथ ही माननीय लेडी मेम्बर ने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम उस पर गौर करेंगे । जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की बात उन्होंने बतायी । लोक भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास कर हम उनको उनकी जगहों पर बिठाएंगे—स्कूल, कालिज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट कचहरी और प्रशासन में ।

इसके साथ ही महोदय, जैसा कि हमने आपको बतलाया, हम एक आयोग का गठन करने जा रहे हैं जिसके वाइड और फार रीचिंग पावर्स होंगे इंवेस्टिगेशन करने के, और उनकी रिकमंडेशन्स मेंडेटरी होंगी । और एक कमीशन अपौइन्ट करने का सरकार का इरादा है । प्रिंसिपल में सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है । अब केवल टर्म्स आफ रेफरेंस और कम्पोजीशन और परसोनेल के बारे में इन्तजाम किया जा रहा है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): The House stands adjourned till 11 a.m. on Wednesday.

The House then adjourned at fifty-seven minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 23rd November, 1977.

GMGIPMRND—RSI—1204RS—27-1-78—595.